



रेल दावा अधिकरण  
**RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL**  
मुंबई पीठ  
**MUMBAI BENCH**

27

**NO. RCT/Mumbai/4/8/2**

**Dated : 18-05-2023**

**NOTIFICATION**

Sub : Engagement of Gr D Staff ( Peon ) on Contractual / outsourcing basis in Railway Claims Tribunal, Mumbai Bench ( RCT ).

Railway Claims Tribunal, Mumbai Bench will conduct a **Walk-In-Interview** for the post of Peon to be engaged on outsourced / contractual basis, as per terms & conditions of Ministry of Railways letter No. 2000/TC(RCT)/8-1 dated 29-10-2019 & letter NO 2020/TC(RCT)/1-19 dtd 26-04-2022 and Principal Bench's letter No. RCT/DLI/Admn. Policy/2016 dt.26-11-2019 & 27-04-2022, as per the details given below.

Sr No	Posts	Remuneration	No of vacancies	Qualification	Age limit
01	PEON	Will be governed by the minimum wages in force in Maharashtra State	Two ( 02 )	10 <sup>th</sup> Passed	18 to 45 years

- 1) The candidates should bring Original 10<sup>th</sup> Mark Sheet & Board Certificate, Photo Id such as Aadhar Card, PAN card, Voter Id and 02 Passport size colored Photograph along with self attested 02 sets of Xerox copies. Bio data in the prescribed proforma with requisite qualifications only are invited from the willing candidates.
- 2) Willing candidates may visit RCT web site ( [www.rct.indianrail.gov.in](http://www.rct.indianrail.gov.in) ) for details.
- 3) Place, Date & Time for the Walk-In-Interview is as under :-

**Date : 20-06-2023 Time : 10.30 AM**

**Venue : Railway Claims Tribunal, 19/T, Wigwam,  
180, P D' Mello Road, Opp. Platform no 18 of CSMT,  
Mumbai - 400 001**

  
18-5-23

( Prakash Parmar )  
Additional Registrar  
RCT/Mumbai.

Encl : Proforma of Bio data  
Terms & conditions Annexure-I

रेल दावा अधिकरण, मुंबई में ठेके के आधार पर चपरासी के पद हेतु आवेदन-पत्र

		फोटो
1.	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	जन्म-तिथि	
3.	पिता/पति का नाम	
4.	पत्राचार का पता	
5.	स्थायी पता	
6.	टेलीफोन/मोबाईल नं.	
7.	इमेल-आयडी	
8.	आधार कार्ड नं.	
9.	शैक्षणिक योग्यता(सर्टिफिकेट के साथ)	
10.	कार्य का अनुभव,यदि कोई हो	

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गयी जानकारी सही और सच है।

स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम :

रेल दावा अधिकरण में ठेके/आउटसोर्सिंग के आधार पर चपरासी/सफाईवाला के पद के लिए निबंधन और शर्तें

रेल दावा अधिकरण, की ठेके/आउटसोर्सिंग के आधार पर चपरासी/सफाईवाला की शर्तों हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार (वॉक-इन-इंटरव्यू) के लिए प्रस्ताव रखने से पहले प्रत्यक्ष अधिकारी अर्थात् माननीय अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

रेल दावा अधिकरण की संबंधित पीठें चपरासी/सफाईवाला के पदों के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार (वॉक-इन-इंटरव्यू) हेतु उम्मीदवारों को बुलाने के लिए रेल दावा अधिकरण की पीठों, जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं, का स्थान, निर्धारित दिन और समय संबंधी विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों/वैबसाइट में विज्ञापन प्रकाशित करेंगी और योग्य उम्मीदवार के नाम की सिफारिश माननीय अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण, दिल्ली के अनुमोदन हेतु करेंगी।

चपरासी के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना आवश्यक है और 10वीं से कम पढ़े व्यक्तियों (अकुशल) को सफाईवाले के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठेके/आउटसोर्सिंग के लिए गए चपरासी/सफाई वाले के लिए पारिश्रमिक उस राज्य जहां तैनाती की जानी है, में लागू न्यूनतम मजदूरी द्वारा शासित होगा।

रेलवे के कार्य के घंटों का समय सभी कार्य-दिवसों पर 9.30 बजे से 18.00 बजे तक 8 घंटे का होगा जिसमें 13.30 बजे से 14.00 बजे तक आधे घंटे का भोजन अवकाश दिया जाएगा।

चूंकि रेल दावा अधिकरण एक न्यायिक संस्थान है अतः यह उम्मीदवारों को स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी गोपनीय सूचना के सार्वजनिक (लीक) करने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी जिसमें मुकदमा भी शामिल है।

यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति अनपुस्थित रहता है तो उसे भुगतान के जाने वाली राशि में से प्रो-बेता कटौती की जाएगी। कटौती की जाने वाली रकम की गणना एक मुश्त राशि के 1/30 भाग के आधार पर प्रति गैर-हाजिरी दिन के हिसाब से की जाएगी।

किसी भी पक्षकार द्वारा एक महीने पहले पूर्व सूचना देते हुए इस संविदागत तैनाती को समाप्त किया जा सकता है।

नियुक्त संविदागत व्यवस्था ऐसी नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तों की स्वाकृति की तारीख अथवा क्षेत्रीय रेलों द्वारा भरे गए पदों जो भी पहले हों, से अधिकतम एक वर्ष से अधिक नहीं होगा। दो क्रमिक ठेकों (यदि कोई हो) के बीच यथा-योग्य समय अंतराल दिया जाना अनिवार्य है।

10. इस योजना के तहत की गई व्यक्तियों की नियुक्ति को किसी भी प्रकार से रेल दावा अधिकरण या रेलों पर नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं माना जाएगा।

11. नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा किसी भी उपकरण या संपत्ति को जानबूझकर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उनकी मासिक नजदरी से इसकी वसूली की जाएगी।

12. ठेके अथवा आउटसोर्सिंग आधार पर ग्रुप-डी कर्मचारियों की तैनाती के लिए उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. चिकित्सा आधार पर योग्य प्रमाणित उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया जाएगा जिसके लिए उन्हें न्यूनतम एमबीबीएस डिग्री धारक सामान्य फिजिशियन द्वारा जारी चिकित्सा आरोग्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।